



विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन

क्रमांक/अकादमिक/पीएच.डी.पंजी./2024/943

दिनांक : 18-10-2024

--: अधिसूचना ::-

उच्च शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश शासन के पत्र क्रमांक/1302/205/आउशि/शा-4/24, दिनांक 10.10.2024 के बिन्दु क्रमांक 09 में दिये गये निर्देशानुसार विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन परिक्षेत्र के प्रत्येक महाविद्यालय में कार्यरत समस्त सहायक प्राध्यापक, सह-प्राध्यापक, एवं प्राध्यापक जो शोध निर्देशक के मापदण्ड को पूर्ण करते हैं। उनसे शोध निर्देशक की मान्यता प्राप्त करने हेतु आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।

अतः पात्र आवेदक संलग्न आवेदन पत्र के प्रारूप में पीएच.डी. की उपाधि एवं निर्धारित शोध पत्रों की छायाप्रति संलग्न कर अकादमिक (पीएच.डी.) विभाग, माधव भवन, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन में अविलम्ब प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्न :- यथोपरि।

आदेशानुसार

कुलसचिव

क्रमांक/अकादमिक/पीएच.डी.पंजी./2024/944

दिनांक : 18-10-2024

प्रतिलिपि :-

01. प्राचार्य, समस्त शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालय, विक्रम विश्वविद्यालय, परिक्षेत्र।
02. अति.संचालक, उच्च शिक्षा, उज्जैन संभाग, उज्जैन, शा. माधव विज्ञान महाविद्यालय, परिसर, उज्जैन।
03. माननीय कुलगुरुजी/कुलसचिवजी के निज सहायक, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।
की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

सहायक कुलसचिव(अकादमिक)

17. Eligibility of Supervisors/Co-supervisors:

✓(i) A regular Professor of the University/College or Professor equivalent Scientist of the Research Establishment/Laboratory with at least five research publications in refereed journals and a regular Associate Professor (Reader) or equivalent Scientist /Assistant Professor(Lecturer) or equivalent Scientist of the university/college/ Research establishment with a Ph.D. degree and at least two research publications in refereed journals may be recognized as Research Supervisor/ Co-supervisor.

(ii) Only a full time regular teacher of the concerned University/ College or scientist of the research establishment recognized as research centre can act as a supervisor. The external supervisors are not allowed. However, Co-Supervisor can be allowed in inter-disciplinary areas from other departments of the same institute or from other related institutions with the approval of the RDC.

(iii) A Research Supervisor who is a Professor or equivalent Scientist, at any given point of time, can guide upto a maximum of Eight (8) Ph.D. scholars. An Associate Professor or equivalent Scientist as Research Supervisor can guide upto a maximum of six (6) Ph.D. scholars and an Assistant Professor or equivalent Scientist as Research Supervisor can guide up to a maximum of four (4) Ph.D. scholars.

(iv) Maximum number of Ph.D. students can work under a Co-Supervisor will be same as under Supervisor mentioned above in column (iii). However, the Vice-Chancellor may increase the number of Ph.D. students under a Co-Supervisor under very special circumstances.

3
[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]

प्रेषक—

दिनांक.....

.....
.....
.....
.....

प्रति,

कुलसचिव,
विक्रम विश्वविद्यालय,
उज्जैन (म. प्र.)

विषय :— विषय में निर्देशक के रूप में मान्यता प्रदान करने बाबद ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में निवेदन है कि विक्रम विश्वविद्यालय में निर्देशक के रूप में मान्यता प्राप्त करना चाहता हूँ । संलग्न प्रपत्र में मैंने वांछित जानकारी दी है, यह सत्य है ।

कृपया निर्देशक के रूप में मान्यता प्रदान करने का कष्ट करें ।

भवदीय,

.....
(आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर)

(क. पृ. ज.)

विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन

आवेदक का नाम व पद	शैक्षणिक योग्यता (उपाधि प्राप्त करने का वर्ष एवम् श्रेणी लिखें तथा छाया प्रति संलग्न करें)	स्नातकोत्तर एवं स्नातकस्तर मिशन अनुभव	प्रकाशन यदि हों (प्रकाशित सामग्री की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की जाय सामग्री की फोटो कापी प्रस्तुत की जाय)	शोधार्थियों की संख्या	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6

मैं प्रमाणित करता हूँ कि आवेदक द्वारा दी गयी जानकारी पूर्णतः सत्य है।

संस्थानाध्यक्ष/प्राचार्य के हस्ताक्षर (सील सहित)

आवेदक के हस्ताक्षर

पद

पता